



इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना-800014

Tel.: 0612 – 2297631, 2297099; Fax: 0612 – 2297225;

Website: www.igims.org; E-Mail: director@igims.org

ज्ञापांक: /लेखा/2026

दिनांक: / /2026

कार्यालय आदेश

संस्थान में विभिन्न परीक्षाओं में किया जाने वाले कार्य संपादन में Remuneration भुगतान से सम्बंधित पूर्व निर्गत आदेशों में संशोधन करते हुए संस्थान के विभिन्न परीक्षाओं के लिए किये जाने वाले Remuneration (पारिश्रमिक) भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है:

1. Remuneration (पारिश्रमिक) का भुगतान केवल उन्ही परिस्थिति में किया जायेगा, जबकि कोई कार्य कार्यालय अवधि के कार्य के अतिरिक्त किया गया हो।
2. Remuneration के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु कार्य की महत्ता एवं कार्य अवधि के पश्चात हुए कार्य का प्रमाण पत्र विभागाध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा।
3. नियमित प्रकृति के कार्यों के लिए Remuneration (पारिश्रमिक) का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. Remuneration (पारिश्रमिक) भुगतान हेतु विभागाध्यक्ष को यह प्रमाण पत्र निर्गत करना होगा कि कार्य की प्रकृति नियमित प्रकृति से अलग है एवं कार्य अवधि के बाद कार्य संपादन हुआ है।
5. उपरोक्त प्रतिवेदन में संशोधन संस्थान के फैकल्टी सदस्यों हेतु पूर्व से निर्गत कार्यालय आदेशों/नियमों पर लागू नहीं होगा।
6. आउटसोर्स कर्मियों को नियमानुसार मानदेय देय नहीं होगा। इससे सम्बंधित पूर्व के सभी निर्गत आदेशों को रद्द किया जाता है।

उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त है।

--ह०--

उप-निदेशक (प्रशा.)

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

ज्ञापांक: 17 /लेखा/2026
प्रतिलिपि:

दिनांक: 3/16/2026

1. निदेशक, कोषांग
2. उप-निदेशक (प्रशा.), कोषांग
3. चिकित्सा अधीक्षक - I एवं II
4. संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक / अनुसंधान / परीक्षा)
5. सभी विभागाध्यक्ष
6. अधीक्षण अभियंता (सिविल / विद्युत)
7. अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/3
30.1.26

उप-निदेशक (प्रशा.)

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

Recd.
Jyoti
31/01/26